2

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 91 सन 2018

अनवान :—

1. सन्तरों पत्नी हरीसिह जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :— 14.08.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खसरा न0 459/1 की 2.0230हैक भूमि की वादीया खातदेार काश्तकार वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि काश्त करते है वादीया के नाम वाद भूमि मुताबिक बैयनामा दिनांक 21.05.1987 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है वादीया के पति को सीगाराम व हरीसिह दोनो नामों से जाना जाता था इसलिये सहबन से बेयनामा में सीगाराम दर्ज हो गया उसी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में भी सन्तरों पत्नि सीगाराम दर्ज हो गया है जबकि अन्य सभी दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र , आधार कार्ड, राशन कार्ड , भामाशाह कार्ड, सभी प्रार्थीया का नाम सन्तरों पत्नि हरीसिह दर्ज है इसलिये प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में भी सन्तरों पत्नि सीगाराम के स्थान पर सन्तरों पत्नि हरिसिह दर्ज करवाना चाहती है वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार नोहर से वादीया के वाद /नाम संशोधन के सम्बध मे रिपोर्ट /जबाब चाहा गया पेरोकार राज तहसीलदार नोहर ने रिपोर्ट पेश की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 269 में वादीया का नाम सन्तरों पत्नि सीगाराम दर्ज है वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं सरपंच ग्राम पंचायत के अनुसार सन्तरों पत्नि सीगाराम एवं सन्तरों पत्नि हरिसिह एक ही महिला है इसलिये वादीया का नाम सन्तरों पत्नि सीगाराम उर्फ हरिसिह संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट आने पर शामिल मिसल की जाकर वकील वाद को सुना गया वकील वादीया तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से सन्तुष्ट है व उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाना चाहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खसरा न0 459/1 की 2.0230हैक भूमि की वादीया सन्तरों पत्नि सीगाराम के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है वादीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादीया का नाम सन्तरों पत्नि हरिसिह दर्ज है तहसीलदार नोहर की जाच रिपोर्ट के अनुसार वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में सन्तरों पत्नि सीगाराम दर्ज है किन्तु वादीया के अन्य सभी दस्तावेजात में सन्तरों पत्नि हरिसिह दर्ज है एवं संरपच ग्राम पंचायत की तस्दीक के अनुसार सन्तरों पत्नि सीगाराम एवं सन्तरों पत्नि हरिसिह एक ही महिला है तहसीलदार नोहर के द्वारा राजस्व रिकार्ड में सन्तरों पत्नि सीगाराम उर्फ हरिसिह संशोधन करने की अभिशषां की गई है।

अतः तहसीलदार नोहर की अभिशषा/संरपच ग्राम पंचायत की तस्दीक/वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद वादीया डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खसरा न0 459/1 की 2.0230हैक भूमि में वादीया का नाम सन्तरों पत्नि सीगाराम के स्थान पर सन्तरों पत्नि सीगाराम उर्फ हरिसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

SAZaidi

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

~~नोहर~~ (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Original